



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा

फरवरी 2026

"यह डॉक्यूमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। इस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी या किसी और तरीके से कोट, दोबारा इस्तेमाल या सर्कुलेट नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट या उसके कंटेंट का कोई भी बिना इजाज़त इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।"

"यह दस्तावेज़ भारतीय जीवन बीमा निगम की संपत्ति है। इस दस्तावेज़ को किसी भी रूप या माध्यम से, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी अथवा अन्य कोई माध्यम हो, उद्धृत, पुनरुत्पादित या प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ अथवा इसकी सामग्री का कोई भी अनधिकृत उपयोग सख्ती से निषिद्ध है।"

ईएसजी दस्तावेज क्रमांक 2 - परिवर्तन इतिहास

दस्तावेज सं.	संशोधन की प्रकृति	स्वीकृति तिथि
2.0	बोर्ड ने अंतिम संस्करण को मंजूरी दे दी है	05-02-2026

अंतर्वस्तु

1. परिचय	4
1.1 उद्देश्य	Error! Bookmark not defined.
1.2 प्रयोज्यता	4
1.3. कार्यक्षेत्र	Error! Bookmark not defined.
1.4. उद्देश्य	5
2. जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा	5
2.1 शासन दृष्टिकोण	5
3. जलवायु जोखिम प्रबंधन	5
3.1 जलवायु जोखिमों के प्रकार	Error! Bookmark not defined.
3.2 परिचालनों में जलवायु जोखिमों का एकीकरण	9
3.2.1 ईआरएम रूपरेखा में जलवायु जोखिमों का एकीकरण	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 व्यवसाय निरंतरता योजना में जलवायु जोखिमों का एकीकरण	10
3.2.3 व्यवसाय प्रक्रियाओं में जलवायु जोखिमों का एकीकरण	11
4.0 कार्यनिष्पादन मानिटरिंग तंत्र :	12
परिशिष्ट	13
शब्दावली	13

1. परिचय

1.1. उद्देश्य

जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (CRMF) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC या "निगम") के व्यवसाय से संबंधित जलवायु-आधारित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, शमन तथा रिपोर्टिंग हेतु अपनाए जानेवाले दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। चूंकि भारतीय बीमा क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन अभी विकसित हो रहा है तथा संबंधित विनियम निरंतर विकसित हो रहे हैं, इसलिए निगम जलवायु संबंधी विचारों को अपने समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में क्रमिक रूप से सम्मिलित और परिष्कृत करेगा। यह रूपरेखा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के Corporate Governance for Insurers (2024) के उस प्रावधान के अनुपालन में तैयार की गई है, जिसके अनुसार बीमाकर्ताओं को अपने संचालन के आकार, प्रकृति और जटिलता के अनुरूप एक संरचित जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखना आवश्यक है।

1.2. प्रयोज्यता

इस रूपरेखा के प्रावधान एलआईसी की सभी व्यावसायिक इकाइयों, विभागों और कार्यात्मक क्षेत्रों पर लागू होंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले विविध बीमा पोर्टफोलियो के कारण जलवायु संबंधी जोखिम परिचालन तथा रणनीतिक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके लिए समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।

एलआईसी का उद्देश्य जलवायु संबंधी विचारों को अपने कॉर्पोरेट प्रशासन तथा दैनिक कार्यप्रणाली में समाहित करना है। प्रारंभिक चरण में इसका एकीकरण प्रत्यक्ष संचालन और जोखिमांकन निर्णयों पर केंद्रित रहेगा। समय के साथ इसे निगम के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि जलवायु जोखिमों का समाधान समग्र रूप से किया जाए और वे एलआईसी के व्यापक जोखिम प्रबंधन परिवेश का एक हिस्सा बनें।

1.3. कार्यक्षेत्र

यह दस्तावेज़ एलआईसी की ईएसजी रूपरेखा के अंतर्गत 'जलवायु परिवर्तन' फोकस क्षेत्र का एक भाग है तथा संबंधित जोखिमों के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

1.4. उद्देश्य

इस रूपरेखा में एलआईसी के जलवायु-अनुरूप व्यवसाय मॉडल की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग निर्धारित किया गया है। अल्पकाल में, एलआईसी अपनी वर्तमान जलवायु पहलों को समेकित और सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से उन पहलों पर जो जोखिम मूल्यांकन और डीकार्बोनाइजेशन से संबंधित हैं। मध्यम एवं दीर्घकाल में, एक संरचित भौतिकता आकलन के आधार पर अपनी जलवायु प्राथमिकताओं को और परिष्कृत करेगा, जिससे संगठन हितधारकों की अपेक्षाओं तथा उभरते हुए जलवायु रुझानों के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा।

2. जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

2.1 शासन दृष्टिकोण

एलआईसी जलवायु जोखिमों की निगरानी हेतु द्विस्तरीय शासन प्रणाली अपनाएगा।

- **बोर्ड की निगरानी :** जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बोर्ड समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगा ताकि यह अद्यतन और प्रभावी बनी रहे।
- **ईएसजी समिति :** ईएसजी समिति जलवायु जोखिमों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी और प्रत्येक वर्ष बोर्ड को अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एक ईएसजी आंतरिक टीम (Cross-functional Climate Risk Working Group) का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भविष्य में इसमें सभी प्रमुख विभागों को सम्मिलित किया जाएगा ताकि जलवायु जोखिम से जुड़े सभी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन किया जा सके। यह समूह प्रत्येक तिमाही बैठक करेगा। जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा कार्यान्वयन और मुख्य प्रदर्शन संकेतक निगरानी पर कम से कम वर्ष में एक बार ईएसजी समिति को रिपोर्ट देगा।

यह कार्य समूह संगठन के भीतर जलवायु संबंधी पहलों का समन्वय करेगा, जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करेगा तथा नियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यह प्रबंधन एवं ईएसजी समिति को प्रगति रिपोर्ट भी प्रदान करेगा।

3. जलवायु जोखिम प्रबंधन

एलआईसी बीमा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की बढ़ती प्रासंगिकता को समझते हुए महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में जलवायु संबंधी विचारों को व्यवस्थित रूप से शामिल करने का प्रयास करेगा। निगम यह सुनिश्चित करेगा कि जलवायु जोखिमों की पहचान, विश्लेषण, प्रबंधन और निगरानी उसकी परिचालन गतिविधियों एवं मूल्य श्रृंखला, जिसमें अंडरराइटिंग और निवेश शामिल हैं, में निरंतर की जाए।

3.1 जलवायु जोखिमों के प्रकार

एलआईसी जलवायु जोखिमों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है : **भौतिक जोखिम** तथा **संक्रमण जोखिम** - यह वर्गीकरण TCFD तथा IFRS S2 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। प्रत्येक प्रकार का जोखिम जोखिमांकन, निवेश के प्रदर्शन, परिचालन की निरंतरता और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना पर प्रभाव डाल सकता है।

ए. भौतिक जोखिम

भौतिक जोखिम जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रभावों से उत्पन्न होते हैं। ये जोखिम तीव्र (किसी घटना से प्रेरित और अचानक होने वाले) या दीर्घकालिक (धीरे-धीरे शुरू होने वाले, लंबे समय तक चलने वाले) हो सकते हैं।

1. तीव्र भौतिक जोखिम

जलवायु से जुड़ी अचानक होने वाली, बहुत ज़्यादा गंभीर घटनाएँ जो कामकाज में रुकावट डाल सकती हैं और दावों की गंभीरता को बढ़ा सकती हैं। उदाहरणों में शामिल हैं :

- बाढ़ और फ्लैश फ्लड
- चक्रवात, तूफ़ान और तेज़ हवाएँ
- लू एवं अत्यधिक गर्मी
- बादल फटना, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा
- जंगल की आग और धुएँ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव :

- लू, बाढ़ या विनाशकारी घटनाओं के कारण मृत्यु और बीमारी संबंधी दावों में वृद्धि
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित शाखाओं का व्यवसाय संचालन बाधित होना
- प्रभावित क्षेत्रों में निवेशित परिसंपत्तियों का मूल्य घट जाना
- आपदा के समय आपदा-निवारण और दावा-निपटान प्रणालियों पर दबाव

2. दीर्घकालिक भौतिक जोखिम

जलवायु पैटर्न में होने वाले ऐसे दीर्घकालिक बदलाव, जो धीरे-धीरे व्यापार, आर्थिक गतिविधियों और ग्राहकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- औसत तापमान में वृद्धि
- समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जिससे तटीय बुनियादी ढाँचा प्रभावित होता है
- दीर्घकालिक सूखा, जल की कमी और कृषि संकट
- मानसून के पैटर्न में बदलाव, मौसम की अनिश्चितता
- रोगाणु वाहकों में बदलाव (जैसे, गर्मी से जुड़ी बीमारियाँ, वेक्टर-जनित रोग)

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव:

- जीवन और स्वास्थ्य उत्पादों के लिए जोखिमांकन धारणाओं में दीर्घकालिक बदलाव
- संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का मूल्य कम होना
- कृषि निर्भर या जलवायु-प्रभावित समुदायों की वित्तीय क्षमता में कमी
- मूल्य-निर्धारण, उत्पाद डिज़ाइन अथवा जोखिम चयन तंत्रों में संशोधन की आवश्यकता

बी. संक्रमण जोखिम

संक्रमण जोखिम उन आर्थिक, विनियामक, कानूनी, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं, जो भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कम-कार्बन और जलवायु-लचीले भविष्य की ओर बढ़ने के साथ घटित होते हैं।

संक्रमण जोखिमों में चार प्रमुख घटक शामिल हैं: नीति और विनियामक जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, बाज़ार एवं प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम, तथा दायित्व जोखिम।

1. पॉलिसी और विनियामक जोखिम

जलवायु से जुड़े नियमों, रिपोर्टिंग की ज़रूरतों, या उत्सर्जन मानकों में बदलाव, जो एलआईसी अथवा उसकी निवेशित कंपनियों पर सीधे तौर पर असर डालते हैं।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- जलवायु प्रकटीकरण संबंधी नई आवश्यकताएँ (जैसे, BRSR Core, TCFD/IFRS S2 संबंधित रिपोर्टिंग)
- विशिष्ट क्षेत्र में ऊर्जा, परिवहन और उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले, उत्सर्जन में कमी संबंधी आदेश
- कार्बन मूल्य निर्धारण, हरित कर रूपरेखा अथवा पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करने के मानक

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव :

- जोखिम प्रकटीकरण, शासन और पोर्टफोलियो मूल्यांकन में अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि
- जलवायु नीति से प्रभावित फर्मों की ऋण-योग्यता में परिवर्तन
- जोखिम उठाने की क्षमता और रणनीतिक निवेश निर्णयों में बदलाव

2. प्रौद्योगिकी जोखिम

नई कम-कार्बन और जलवायु-अनुकूल तकनीकों के आने से पुराने या अधिक प्रदूषण फैलाने वाले मॉडलों का स्थान लेने के कारण उत्पन्न परिवर्तन या व्यवधान ।

इसके उदाहरणों में शामिल हैं:

- जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार
- विद्युत वाहनों का उपयोग
- डिजिटल और स्वचालित बीमा प्रक्रियाएँ, जो पारंपरिक वितरण प्रणालियों को प्रभावित करती हैं

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव :

- अनुकूलन न कर पाने वाले उद्योगों में निवेश प्रदर्शन में कमी
- जलवायु डेटा एवं मॉडलिंग हेतु नई डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता

3. बाज़ार और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) प्रदर्शन से संबंधित ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएँ, निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएँ और हितधारकों की बढ़ती निगरानी

उदाहरणों में शामिल हैं :

- ग्राहकों द्वारा ऐसे बीमा उत्पादों को प्राथमिकता देना, जिनमें स्थिरता की विशेषता हो
- निवेशकों का ग्रीन अथवा ईएसजी-अनुपालक निवेशों की ओर झुकाव
- उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों में निवेश के प्रति नकारात्मक धारणाएँ

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव:

- जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों से प्रीमियम आय में परिवर्तन
- बाजार हिस्सेदारी में संभावित कमी, यदि उत्पाद जलवायु-जागरूक अपेक्षाओं के अनुरूप न हों

- प्रतिष्ठा को नुकसान, यदि एलआईसी को राष्ट्रीय जलवायु उद्देश्यों के साथ असंगत माना जाता है

4. कानूनी जोखिम

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अनुपालन और विश्वासात्मक अपेक्षाओं में हो रहे बदलावों से कानूनी जोखिम उत्पन्न होते हैं। जलवायु संबंधी मानदंडों में सख्ती आने के साथ-साथ, व्यवसायों, जिनमें बीमा कंपनियाँ भी शामिल हैं, को प्रकटीकरण, जोखिम प्रबंधन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के संबंध में बढ़ती जांच और निगरानी का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- पर्यावरणीय क्षति अथवा जलवायु-संबंधी जानकारी के अपर्याप्त प्रकटीकरण के संबंध में कॉर्पोरेट संस्थाओं के विरुद्ध आरंभ की गई कानूनी कार्यवाही, जिसके फलस्वरूप दायित्व बीमा उत्पादों के तहत दावे किए जाते हैं।
- बीमा उत्पादों के दस्तावेजों में जलवायु जोखिमों से संबंधित भ्रामक कथनों या महत्वपूर्ण तथ्यों के लोप का आरोप लगाते हुए दायर किया गया मुकदमा
- जलवायु परिवर्तन से जुड़े पर्यावरणीय क्षति या जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से उत्पन्न दावे
- जलवायु-संबंधी शासन अथवा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण लगाए गए नियामकीय जुर्माने या दंड

बीमा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव :

- पर्यावरणीय मुकदमेबाजी के जोखिम से प्रभावित बीमित संस्थाओं से प्राप्त दावों में वृद्धि
- सटीक जलवायु प्रकटीकरण तथा शासन-संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एलआईसी से बड़ी हुई अपेक्षाएँ
- अंडरराइटिंग तथा निवेश प्रक्रियाओं में जलवायु जोखिमों के अपर्याप्त समावेशन के कारण प्रतिष्ठागत प्रभाव अथवा कानूनी जांच-पड़ताल
- पॉलिसी की शर्तों, उत्पाद प्रकटीकरणों तथा जोखिम-चयन दिशानिर्देशों को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता

3.2 परिचालन में जलवायु जोखिमों का एकीकरण

3.2.1 ईआरएम ढांचे में जलवायु जोखिमों का एकीकरण

जलवायु जोखिमों को एलआईसी के उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे में निम्नलिखित माध्यमों से समाहित किया जाएगा:

1. जोखिम पहचान

- जलवायु जोखिम आकलन अध्ययन के एक भाग के रूप में जलवायु आंकड़ों, जोखिम मानचित्रों तथा नियामकीय अद्यतनों का उपयोग।
- जलवायु जोखिमों का अलग-अलग विभागीय जोखिम रजिस्ट्रों में समावेशन

2. जोखिम मूल्यांकन और मापन

- वर्तमान जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं में जलवायु-विशिष्ट मानकों का समावेशन किया गया है
- तीव्र तथा दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों के लिए परिदृश्य विश्लेषण (अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक)
- IFRS S2 के अनुरूप महत्त्वपूर्णता मूल्यांकन

3. जोखिम शमन और नियंत्रण

- जलवायु संबंधी जोखिमों को सम्मिलित करने हेतु जोखिमांकन दिशानिर्देशों में समायोजन
- जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पोर्टफोलियो-स्तरीय निवेश जोखिम परीक्षण
- चरम मौसमीय जोखिमों के लिए परिचालनिक लचीलापन उपाय।
- प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के कारण उत्पन्न बड़े दावों की पूर्ति हेतु पुनर्बीमा का प्रभावी उपयोग

4. जोखिम निगरानी एवं प्रतिवेदन

- जलवायु संबंधी जोखिमों में किसी भी अद्यतन की सूचना ईएसजी समिति द्वारा निदेशक मण्डल को दी जाएगी।
- प्रमुख निष्पादन संकेतकों तथा नियंत्रण की प्रभावशीलता की आवधिक निगरानी

3.2.2 व्यवसाय निरंतरता योजना में जलवायु जोखिमों का एकीकरण :

एलआईसी अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना तथा आपदा पुनर्प्राप्ति व्यवस्थाओं में जलवायु-संबंधी व्यवधानों को सम्मिलित करके परिचालनिक लचीलापन बढ़ाता है।

- बाढ़, चक्रवात आदि जैसे जलवायु जोखिमों को बीसीपी में जोखिम परिदृश्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- जलवायु आपात स्थितियों हेतु वैकल्पिक परिचालन स्थल तथा दूरस्थ कार्य (Remote Work) क्षमताएँ बनाए रखी जाती हैं।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना, डेटा केंद्रों तथा ग्राहक सेवा माध्यमों में जलवायु-जनित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए बैकअप एवं पुनरावृत्ति (Redundancy) प्रोटोकॉल उपलब्ध हैं।
- कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) को कम करने हेतु हरित ऊर्जा पहलों का आरंभ, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग।
- आवधिक बीसीपी अभ्यासों में जलवायु-संबंधी चरम घटनाओं के अनुकरण (Simulation) सम्मिलित किए जाते हैं।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु सरकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय।

3.2.3 व्यावसायिक प्रक्रियाओं में जलवायु जोखिमों का एकीकरण

जोखिमांकन

जलवायु-संबंधी कारक—जिनमें जलवायु-संवेदनशील स्थानों तथा उच्च जोखिम क्षेत्रों का जोखिम-संपर्क शामिल है—को एलआईसी के जोखिमांकन निर्णयों में समाहित किया जाता है। ये विचार जोखिम चयन एवं मूल्य निर्धारण का मार्गदर्शन करते हैं ताकि भौतिक जलवायु जोखिम जोखिमांकन परिणामों में उचित रूप से परिलक्षित हो सकें।

निवेश

एलआईसी के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकार समर्थित बॉण्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर तथा अन्य बॉण्ड शामिल हैं, जो सामान्यतः स्थिर माने जाते हैं। हालाँकि, निगम यह स्वीकार करता है कि चरम मौसम से होने वाली भौतिक क्षति अथवा नीतिगत परिवर्तनों से उत्पन्न संक्रमण जोखिम परिसंपत्तियों के मूल्य तथा ऋण जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। अतः एलआईसी अपनी निवेश सम्यक्-जाँच तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जलवायु-संबद्ध जोखिमों की निगरानी करेगा।

प्रत्यक्ष परिचालन

एलआईसी अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने तथा परिचालनिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए लक्षित पहलें कर रहा है। इनमें से कुछ पर्यावरणीय पहलें निम्नलिखित हैं:

1. कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का समावेशन
2. भौतिक सर्वरों के स्थान पर क्लाउड-आधारित सर्वरों को अपनाना, जिससे कुल ऊर्जा खपत में कमी आती है। इससे अचल परिसंपत्तियों का जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रति जोखिम-संपर्क भी कम होता है तथा समग्र लचीलापन बढ़ता है।

3. जल संरक्षण के लिए एलआईसी ने अपने कुछ स्थानों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था लागू की है, जिससे आसपास के भूजल का पुनर्भरण होता है।
4. एलआईसी कागज रहित तथा डिजिटल जोखिमांकन पहलों, जैसे ANANDA एवं अन्य ऑनलाइन मंचों को प्रोत्साहित करता है, ताकि कागज के उपयोग में कमी आए तथा परिचालनिक दक्षता बढ़े।

निगम एक व्यापक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति तथा एक आपदा पुनर्प्राप्ति योजना बनाए रखता है, जो बाढ़, आग तथा अन्य चरम जलवायु घटनाओं जैसी जलवायु-संबंधित व्यवधानों को स्पष्ट रूप से कवर करती है। यह योजना सभी प्रक्रियाओं और कर्मचारियों पर लागू होती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि जलवायु-संबंधित आपात स्थितियों के दौरान संचालन, दावों के प्रसंस्करण और ग्राहक सेवा न्यूनतम व्यवधान के साथ जारी रहें।

ग्राहक सहभागिता

एलआईसी सूचित उपभोक्ताओं के महत्व को मान्यता देता है और स्थिरता-संबंधित विषयों पर ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम अपने संचार माध्यमों में जलवायु जोखिम तथा जलवायु लचीलापन से संबंधित विषयों को एकीकृत करेगा, जिससे पॉलिसीधारकों को ऐसी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो जो जिम्मेदार निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे।

शासन

बदलते जलवायु परिदृश्य में, जोखिमांकन, निवेश तथा प्रत्यक्ष परिचालनों सहित विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में जलवायु जोखिम को समाहित करना तथा सुदृढ़ जलवायु जोखिम शासन स्थापित करना, लचीलापन बढ़ाने के लिए एक आवश्यक सक्षमकर्ता सिद्ध होगा। जलवायु डेटा पर मजबूत शासन, एकरूपता सुनिश्चित करेगा। मानकीकृत डेटा मापदंडों का उपयोग, बेहतर डेटा गुणवत्ता एवं धारणाओं को सुनिश्चित करेगा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

4.0 प्रदर्शन निगरानी तंत्र:

एलआईसी ने जलवायु-केंद्रित क्षेत्रों की पहचान की है, साथ ही प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तथा नामित प्रक्रिया स्वामियों को निर्धारित किया है। प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की प्रगति का आंतरिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा और प्रत्येक छह माह में प्रबंधन द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। ये प्रमुख प्रदर्शन संकेतक जलवायु-जोखिम के दृष्टिकोण से निर्धारित किए गए हैं, जबकि प्रत्यक्ष परिचालनों से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का अनुश्रवण ईएसजी रूपरेखा के माध्यम से किया जा रहा है।

बोर्ड को जलवायु-संबंधित जोखिमों की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी, जिससे रणनीतिक दिशा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

तालिका 1: समीक्षा एवं निगरानी हेतु जलवायु-संबंधित KPI

क्षेत्र	केपीआई	फ्रेमवर्क
1 जोखिमांकन प्रथाएँ	EIA (ई-इंश्योरेंस अकाउंट) में पॉलिसी जारी करने से कार्बन एमिशन में कमी आएगी	संयुक्त राष्ट्र के सतत बीमा सिद्धांत (यूएन पीएसआई)
	ऑनलाइन बिक्री का %	
2 निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन	निवेशों के लिए जलवायु जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को एकीकृत करने हेतु एक दृष्टिकोण विकसित करना	संयुक्त राष्ट्र उत्तरदायी निवेश सिद्धांत (यूएन पीआरआई)
3 जलवायु-संबंधी क्षमता निर्माण एवं जागरूकता	कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं के लिए ईएसजी सहित जलवायु जोखिमों पर आयोजित प्रशिक्षण अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई)
4 ग्राहक सहभागिता	ग्राहकों के साथ संवाद में जलवायु-संबंधित विषयों का समावेश	संयुक्त राष्ट्र के सतत बीमा सिद्धांत (यूएन पीएसआई)
5 व्यवसाय निरंतरता	व्यवसाय निरंतरता योजना तथा आपदा प्रबंधन ढाँचे में जलवायु-संबंधित जोखिमों का एकीकरण	संयुक्त राष्ट्र के सतत बीमा सिद्धांत (यूएन पीएसआई) टीसीएफडी/आईएफआरएस एस2

परिशिष्ट

शब्दावली

BCP	व्यवसाय निरंतरता योजना
CRMF	जलवायु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा
IRDAI	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
KPI	मुख्य प्रदर्शन संकेतक
TCFD	जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण हेतु कार्यबल
IFRS	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक
UN PRI	उत्तरदायी निवेश हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत
UN PSI	सतत बीमा हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत